न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 59 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र मांगीलाल कुम्हार जाति कुम्हार / प्रजापत निवासी बरनेल तहसील जायल जिला नागौर।		1 रामकिशोर पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार / प्रजापत निवासी बरनेल तहसील जायल जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत बरनेल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बरनेल तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल पोटलिया अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री भंवरलाल चौधरी, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

दिनांक 18.06.2024

निर्णय

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रशासन एवं स्थापन समिति के निर्णय दिनांक 12.04.2023 जो विकास अधिकारी पंचायत समिति जायल द्वारा निगरानीकर्ता के ग्राम पंचायत बरनेल के पट्टा संख्या 1 को अपास्त करने के निर्णय से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2023 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 31.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पंचायत समिति जायल के निर्णय दिनांक 12.04.2023 की फोटोप्रति, पंचायत समिति जायल में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति, प्रार्थी भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल आवेदन की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 1 की फोटोप्रति, बैठक कार्यवाही रजिस्टर पेज संख्या 29 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– आदेश जेर निगरानी खिलाफ कानून, तथ्यों, परिस्थितियों व रेकर्ड के विपरीत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(2)–निगरानीकर्ता के आवेदन पर सरपंच ग्राम पंचायत बरनेल ने सचिव को आदेश दिया कि निम्नानुसार मिसल खोलकर कार्यवाही की जावे, जिस पर सचिव ने 15/– रूपये फीस जरिये रसीद संख्या 46 दिनांक 30.03.1996 जमा कर निगरानीकर्ता को पटटा जारी करने की पत्रावली दायर की एवं बाद विस्तृत जांच मौके की स्थिति व भूमि का नाप चौप कर निगरानीकर्ता के नाम का पटटा जारी किया। उक्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता एवं उसके तीन छोटे भाईयों के मौके पर कुल चार पक्के मकान बने हुए हैं, जिसमें निगरानीकर्ता व उसके तीनों भाई आवास निवास करते आ रह है, जो मौका रिपोर्ट दिनांक 16.09.2020 ग्राम पंचायत के सदस्यों, सचिव व सरपंच के द्वारा तैयार की गई हैं, लेकिन निर्णय जेर अपील में कहीं पर भी इन चारों इमारतों का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे निर्णय जेर अपील अस्पष्ट एवं तथ्यों के विपरीत जारी किया गया है।

2(3)– निर्णय जेर अपील में निगरानीकर्ता के पटटा में पश्चिम व उतर दिशाओं का नाप मौके की स्थिति से विपरीत बताने का आरोप लगाया गया हैं, जिसके संबंध में पंचायत समिति जायल द्वारा निगरानीकर्ता को नोटिस दिया गया। जिस पर दिनांक 06.04.2022 को मुझ निगरानीकर्ता ने अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरे नाम से कब्जासुद आबादी भूमि में मकान व झाड की बाड की थी, उसी भूमि का पटटा जारी किया गया हैं एवं पक्का निर्माण किया है तो मेरे मकानात के दक्षिण में हमारे द्वारा पटटासुद भूमि छोड दी गई जनता व मौहल्ले के लोगो के आने जाने वाले लागों ने सीधा रास्ता चाहा, जिससे मौहल्ले वालों की बात मानकर पटटासुद भमि में से मकान की पश्चिमी सीमा से मकान के साने पटटे में 120 फुट हैं, परन्तु पटटे में 83 फुट हें, पूर्वी दिशा की तरफ पटटे की सीमा 110 फुट हैं, परन्तु मकान 83 फुट तक बना रखा हैं, दक्षिण की तरफ पटटे की भूमि आम रास्ता व गुवाड के रूप में सार्वजनिक उपयोग के लिए मेरे द्वार छोड दी गई है एवं मुझ निगरानीकर्ता ने पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापन समिति से निवेदन किया कि मेरे आवासीय मकान व बाडे की सीमा का नाप जो आज दिन कायम हैं, पटटे में संशोधित सीमा का आंकलन करवाने के लिए निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत को मेरे मूल पटटे में उतर दक्षिण सीमा 83 फुट करने का आदेश प्रदान करावे एवं पटटे में संशोधित करने का अनुरोध चाहा। अप्रार्थी संख्या 1 रामकिशोर ने भी अपनी शिकायत में इस बात का उल्लेख किया है कि पटटे में संशोधन कियो जाये, इस प्रकार मौके की स्थिति, निगरानीकर्ता का जवाब व अप्रार्थी संख्या 1 का अनुरोध तीनों एक ही दिशा में जाते है कि मौके की स्थिति अनुसार पटटे में संशोधन कर दिया जावे, फिर भी निर्णय जेर अपील में बिना किसी आधार के उल्लेख किया गया है कि पटटाधारी ने कोई संतोषजनक जवाब व साक्ष्य पेश नहीं की। जबकि मुझ निगरानीकर्ता पटटाधारी ने शिकायतकर्ता ने सभी तथ्यों को स्वीकार कर पटटे को संशोधित करने का अनुरोध किया है। जिससे

18/6/24

अपर कलक्टर, नागौर

सम्पूर्ण पटटे को निरस्त करने का पंचायत समिति जायल को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, जो गलत व गैर कानूनी होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– निर्णय जेर अपील में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प दिनांक 30.06.1996 को लिया गया है जबकि उससे पूर्व ही दिनांक 05.07.1995 को ही पटटा जारी करना पाया गया है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 30.06.1996 को संकल्प पारित किया था, महज पटटा जारी करते समय दिनांक 05.07.1996 की जगह लिपिकीय भूल से दिनांक 05.07.1995 दर्ज कर दिया गया। पटटा विलेख में भी संकल्प संख्या 5 दिनांक 30.06.1996 का उल्लेख हैं एवं 769 रूपये की रसीद संख्या 47 दिनांक 05.07.1996 का उल्लेख है। इसके अलावा निगरानीकर्ता के द्वारा पटटा जारी करने का आवेदन में भी सचिव ने दिनांक 30.03.1996 की तारीख लिखी हैं,, जिसकी रसीद संख्या 46 हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि दिनांक 30.03.1996 ही पत्रावली की दायरा तारीख हैं, 30.03.1995 महज सहवन से लिखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 30.03.1995 दायरा तारीख में दिनांक 30.03.1996 लिखा जाना चााहिए था एवं पटटा जारी करने की तारीख भी दिनांक 05.07.1996 लिखी जारी चाहिए थी, जो एक लिपिकीय भूल हैं, मात्र वर्ष 1996 की जगह वर्ष 1995 लिपिकीय भूल से लिख दिया गया हैं, इस मानवीय भूल को सुधारा जा सकता हैं, मानवीय भूल के आधार पर किसी भी तरह उसका नाजायज लाभ उठाकर निर्णय जेर अपील पटटा को निरस्त किये जाने का आदेश कतई गलत पारित किया है।

2(5)–शिकायतकर्ता अथवा ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण पटटे को निरस्त करने का पंचायत समिति जायल में आवेदन पेश नहीं किया था, राज्य सरकार की नीति के अनुसार भी भूमि के दस्तावेज के संबंध में नियमानुसार पटटा जारी करने के आदेश है। फिर भी पंचायत समिति जायल ने राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना की है एवं भूमि के संबंध में दस्तावेज को सही करने के बजाय निरस्त कर सरकार की राहत कैम्पो में चलाई जा रही योजनाओं व नीति के विपरीत बिना किसी आधार के आचरण किया है।

2(6)– ग्राम पंचायत बरनेल की पत्रावली एवं प्रस्ताव में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया हैं, फिर भी पंचायत समिति जायल ने निगरानीकर्ता का पटटा खारिज करने में भारी भूल की है।

2(7)– ग्राम पंचायत बरनेल ने दिनांक 07.05.2018 को भी प्रस्ताव संख्या 2 में निगरानीकर्ता के पटटा संख्या 1 को नवीनीकरण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया है। जिसके खिलाफ आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं हुई है, फिर भी ग्राम पंचायत के संकल्प दिनांक 07.02.2018 प्रस्ताव संख्या 2 को नजरअंदाज कर उक्त प्रस्ताव पर भी निर्णय में बिना गौर किये पटटा निरस्त करने का आदेश जेर निगरानी पारित किया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3– अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि पंचायत समिति के आदेश के खिलाफ सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। निगरानीकर्ता को पंचायत समिति के आदेश के खिलाफ जिला परिषद में अपील करनी चाहिए थी।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत समिति जायल के निर्णय दिनांक 12.04.2023 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 01 दिनांक 05.07.1995 को मौका निरीक्षण किये बिना जारी किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे के नक्शे का नाप चौप मौके से भिन्न होना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो संकल्प दिनांक 30.06.1996 को लिया गया, जबकि उससे पूर्व में ही दिनांक 05.07.1995 को पट्टा जारी करना पाया गया। ऐसे में निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रस्तुत जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/8/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर